रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1527] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2014/श्रावण 2, 1936
No. 1527] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2014/SHRAVANA 2, 1936

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2014

का.आ. 1895 (अ).––केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 25 की उप–धारा (1), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के अधीन स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग को 24 जुलाई, 2014 से भंग करती है ।

2. उक्त आयोग के भंग हो जाने के परिणामस्वरूप और उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप–धारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में,–

(क) सभी प्रकार की सम्पत्तियां और निधियां, जो भंग होने की उक्त तारीख से ठीक पहले खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कब्जे में थीं, अब केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी; और

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष सहित सभी सदस्य अपने सम्बंधित पदों को रिक्त कर देंगे ।

[फा. सं. 6 (1)/2011–केवीआई–II]

बी.एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2014

S. O. 1895 (E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 25 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government hereby dissolves the Khadi and Village Industries Commission established under sub-section (1) of Section 4 of the said Act with effect from 24th July, 2014.

2. Consequent upon dissolution of the said Commission and in pursuance of the provisions of sub-section (2) of Section 25 of the said Act,—

(a) all properties and funds which, immediately before the said date of dissolution were in the possession of the Khadi and Village Industries Commission shall now vest in the Central Government; and

(b) all members including Chairman of the Khadi and Village Industries Commission shall vacate their respective offices.

[F. No. 6(1) /2011-KVI-II]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.